

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध प्रकरण सं. 51/2018

प्रार्थी-

दीवान हाऊसिंग फाईनेन्स
कॉर्पोरेशन लिमिटेड
302/5, तृतीय तल, जयपुर
टावर, एमआई रोड़, जयपुर
(राजस्थान)
जरिये प्राधिकृत अधिकारी

बनाम

अप्रार्थीगण-

1. भवानीलाल चन्देल, निवासी वार्ड
नम्बर 34 भांडियावास रोड़, बालोतरा,
बाड़मेर (राजस्थान)
2. श्रीमति इन्दु देवी, निवासी वार्ड नम्बर
34, भांडियावास रोड़, बालोतरा
जिला बाड़मेर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का
प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन
अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

1. श्री रामस्वरूप शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 15/01/2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण भवानीलाल चन्देल व अन्य के विरुद्ध पेश किया गया।
2. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रार्थी वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण भवानीलाल चन्देल व अन्य की प्रार्थना पर प्रतिभूतियों के एवज में कुल 1639587/- रुपये का ऋण दिनांक 15.06.2015 को स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने प्रार्थी कम्पनी द्वारा जारी ऋण स्वीकृति की सभी शर्तों को स्वीकार किया एवं प्राप्त की गई ऋण सुविधा की राशि एवं उस पर देय ब्याज वापिस मांगने पर भुगतान करना स्वीकार किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा स्वीकृत ऋण सुविधाओं का उत्तरदायित्व स्वीकार किया तथा प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी सं. 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति यथा




जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

कस्बा बालोतरा के वार्ड न. 20, मे भवानीलाल चन्देल पुत्र शिवलाल खटीक के नाम कुल क्षेत्रफल 300 वर्गफुट एवं उस पर निर्मित भवन को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष मे बन्धक द्वारा रहन रखना स्वीकार कर साम्यिक बन्धक निष्पादित किया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने मे असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 02.02.2018 तक बकाया राशि रूपये 1646038/- भुगतान नहीं करने पर ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये तथा नोटिस का समाचार पत्रों मे भी प्रकाशन कराया गया। प्रार्थी बैंक के पक्ष मे अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर प्रतिभूति रहन रखी गई उक्त प्रतिभू सम्पत्ति अप्रार्थीगण सं. 1 से 2 के कब्जे व स्वामित्व मे है इस कारण प्रार्थी बैंक द्वारा प्रतिभूत आस्ति को कब्जे मे लेना सम्भव नहीं है, जिसका कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।


3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी पक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 1639587/- ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त सम्पत्ति प्रार्थी के पक्ष मे रहन रखी है एवं अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 से दिनांक 02.02.2018 तक कुल 1646038/- बकाया वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये है तथा समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशन कर समुचित रूप से संसूचित किया जा चुका है। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थी के समक्ष नोटिस का जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, तथा न ही अप्रार्थी द्वारा बकाया राशि भुगतान किया है। ऐसे मे अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था से प्रतिभूति के विरुद्ध प्राप्त ऋण की अदायगी समय पर किये जाने मे विफल रहने के कारण वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 14 मे विहित प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त रहन रखी गई आस्तियों को प्रार्थी वित्तीय संस्था के कब्जे मे दिलाये जाने का समुचित आधार मौजूद है।



4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1 से 2 द्वारा प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त जायदाद कस्बा बालोतरा के वार्ड न. 20, में भवानीलाल चन्देल पुत्र शिवलाल खटीक के नाम कुल क्षेत्रफल 300 वर्गफुट एवं उस पर निर्मित भवन का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर प्रार्थी को सम्भलाये जाने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक बाड़मेर को आदेश दिया जाता है। इस आदेश की एक-एक प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर एवं प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी को अप्रार्थी कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

आदेश आज दिनांक 15.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(हिमांशु गुप्ता)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर